

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं०(CIN)-. U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना-हवाई अड्डा थाना, पटना-800014.

विनय कुमार

भा०पु०से०

पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529

मोबाईल नं० : 9471006800

ई-मेल : policenigam@bihar.gov.in

वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं०-स्था०/अपील-प्राधि०-35/2024/पु०नि०

दिनांक-.....2024

आदेश सं० - 427/2024

श्री राम मूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट+जिला-कटिहार, पिन कोड-854105 द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश-227/2023, सहपठित ज्ञापांक-एच०क्यू० 2201, दिनांक- 22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र, ज्ञापांक-एच०क्यू० 2283, दिनांक-03.07.2023, जिससे बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11(क)7 के प्रावधानों के तहत पार्टनरशिप फर्म मे० नव निर्माण कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं०-द्वितीय 13/2020(पार्टनरशिप) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निविदा अपलोड करने की तिथि 21.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया है, के विरुद्ध यह अपील दायर किया गया है। श्री राम मूर्ति सिंह मे० न० निर्माण कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं०-3 से, निम्नांकित कार्य के लिये पुर्ननिविदा आमंत्रित की गयी थी:-

क्रम सं०-3 - कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई-निविदा की कंडिका-35 में निम्न शर्तें अंकित थी :-

"35-निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच०क्यू० 1785 दिनांक-23.06.2022 के द्वारा ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच०क्यू० 1853 दिनांक-28.06.2022 के द्वारा पुनः ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

7. उक्त ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23, क्रम सं०-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 04 निविदाकार यथा-एक्यूरियम कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, 2. दिनेश

कुमार, 3. मे0 कृष्णापाली कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 एवं 4. मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

8. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के क्रम सं0-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार का पत्रांक-47 दिनांक-08.04.2021 समर्पित किया गया था।

9. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के क्रम सं0-3, कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा समर्पित उपर्युक्त अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार को निविदाकार मे0 नवनिर्माण कंस्ट्रक्शन द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का निबंधित डाक से प्रेषित, पत्रांक-SE 84, दिनांक-03.04.2023 से अनुरोध किया गया।

10. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार के द्वारा डाक एवं ई-मेल से भेजे गये पत्रांक-433 दिनांक-18.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि "आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को संवेदक-Nav Nirman Construction, Address- Durgasthan Chowk, Katihar का अनुभव प्रमाण-पत्र जो सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया है, के संबंध में कहना है कि उक्त प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत नहीं है एवं प्रमाण-पत्र में अंकित कार्य का संवेदक Nav Nirman Construction नहीं है।"

11. उपर्युक्त तथ्यों के अलोक में पार्टनरशिप फर्म मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित करने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये पार्टनरशिप फर्म मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, पता-दुर्गा स्थान चौक कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 एवं फर्म के पार्टनर श्री मदन कुमार सिंह, पिता-स्व0 देवता प्रसाद सिंह, ग्राम-बजहरा, पोस्ट-सोनैलि, जिला-कटिहार, पिन-855114 एवं अन्य पार्टनर श्री राममूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट-कटिहार, जिला-कटिहार, पिन-854105 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। दर्ज प्राथमिकी की संख्या-हवाई अड्डा थाना कांड सं0-103/2023, दिनांक-15.05.2023 है।

12. तत्पश्चात्, आपराधिक षडयंत्र के तहत निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11(क)7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश-227/2023, सहपटित ज्ञापांक-एच0क्यू0 2201 दिनांक-22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र, ज्ञापांक-एच0क्यू0 2283, दिनांक-03.07.2023 के द्वारा मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन का निबंधन सं0-द्वितीय 13/2020(पार्टनरशिप) बिहार पुलिस

भवन निर्माण निगम को निविदा अपलोड करने की तिथि 21.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत करने का आदेश पारित किया गया।

13. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि
- (i) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के खंड-11 के उप खंड-(ख) के तहत यह निर्धारित है कि ठीकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई से पूर्व पहले उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक है। नियमों के तहत उपर्युक्त प्रावधान का पालन किये बगैर अपीलकर्ता के फर्म को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना कालीकृत कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- (ii) अपीलकर्ता के द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के माध्यम से सत्यापन के लिये भेजा गया था। कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा सत्यापन के लिये कौन सा दस्तावेज भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, कटिहार को भेजा गया, यह अपीलकर्ता को ज्ञात नहीं है और उनके पीठ पीछे कार्यपालक अभियंता के द्वारा यह मान लिया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा, जो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह जाली है एवं उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के साथ साथ बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

14. दिनांक-12.11.2024 को अपीलकर्ता, विद्वान अधिवक्ता, श्री बिमल कुमार के माध्यम से उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं उनके साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में लिखे गये तथ्यों को ही दोहराया गया।

15. अपीलकर्ता का यह कथन कि नोटिस जारी किये बगैर अर्थात् सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना फर्म के निबंधन को कालीकृत कर दिया गया, मान्य नहीं है। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1727 दिनांक-23.05.2023 एवं पुनः मुख्य अभियंता के पत्रांक-एच0क्यू0 1922 दिनांक-03.06.2023 के द्वारा मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के पार्टनर श्री राम मूर्ति सिंह से निबंधन को निलंबित कर काली सूची के डालने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु speed post से भेजे गये उपर्युक्त दोनों पत्र undelivered, "प्राप्तकर्ता का पता नहीं चला, अतः वापस" अंकित कर डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया।

उपर्युक्त दोनों पत्र निबंधित डाक speed post से क्रमशः दिनांक-24.05.2023 RF No.-300518592IN एवं दिनांक-05.06.2023 RF No. -300540383IN से भेजा गया। ये दोनों अपीलकर्ता को निबंधन के समय उनके द्वारा दिये गये पते मे0 नव निर्माण कंस्ट्रक्शन, दुर्गा स्थान चौक, कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन-854105 पर भेजा गया। ऐसे में उसी पते पर speed post से भेजा गया पत्र वापस हो जाना संदेह उत्पन्न करता है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश-227/2023, सहपठित ज्ञापांक-एच0क्यू0 2201, दिनांक-22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र, ज्ञापांक-एच0क्यू0 2283, दिनांक-03.07.2023 को निर्गत किये जाने के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पूर्ण अनुपालन किया गया है।

16. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि फर्म के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र असली (genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि फर्म तथा उसके पार्टनर्स के द्वारा जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

17. अतः ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं०-3-कटिहार जिलान्तर्गत हसनपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 Structure) एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये पार्टनरशिप फर्म मे० नव निर्माण कस्ट्रक्शन के निबंधन सं०-द्वितीय 13/2020(पार्टनरशिप) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निबंधन वैधता की तिथि 30.08.2025 तक के लिये कालीकृत किया जाता है। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश-227/2023, सहपठित ज्ञापांक-एच०क्यू० 2201, दिनांक-22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र, ज्ञापांक-एच०क्यू० 2283, दिनांक-03.07.2023 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक

पटना, दिनांक -2024

प्रतिलिपि:- श्री राम मूर्ति सिंह, पिता-नरेन्द्र प्रसाद सिंह, दुर्गा स्थान चौक, पोस्ट+जिला-
कटिहार, पिन कोड-854105 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक

पटना, दिनांक -2024

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य
अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार,
पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/

प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक 1404639 . /

पटना, दिनांक - 14/11/2024

प्रतिलिपि:- श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम